



जैव विविधता अधिनियम

2002



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण / EXTRAORDINARY

भाग-11 खण्ड - 1 /Part II- Section 1

PUBLISHED BY AUTHORITY

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 5, 2003/MAGHA 16, 1924

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

प्राधिकार से प्रकाशित

नई दिल्ली, बुधवार, 5 फरवरी, 2003/16 माघ, 1924 विधि व न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, बुधवार, 5 फरवरी, 2003 / 16 माघ, 1924 (शक)

5 फरवरी, 2003 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त निम्नांकित संसद का अधिनियम सामान्य सूचना हेतु
प्रकाशित है।

जैव विविधता अधिनियम, 2003

2003 का 18

(5 फरवरी, 2003)

जैव विविधता के संरक्षण, उसके अवयवों के पोषणीय उपयोग और जैव संसाधनों और ज्ञान के उपयोग से उद्भूत फायदों में उचित और साम्यपूर्ण हिस्सा बनाने और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम,



भारत जैव विविधता और उससे सम्बन्धित सहबद्ध पारम्परिक और समसामयिक ज्ञान पद्धति में धनी है; और भारत 5 जून, 1992 को रियो दि जेनेरो में हस्ताक्षर किए गए जैव विविधता से सम्बन्धित संयुक्त राष्ट्र कन्वेशन में एक पक्षकार है; और उक्त कन्वेशन 29 दिसम्बर, 1993 को प्रवृत्त हुआ; और उक्त कन्वेशन ने राज्यों के अपने जैव संसाधनों पर सम्प्रभु अधिकारों की पुष्टि की है; और उक्त कन्वेशन का मुख्य उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण, इसके अवयवों का पोषणीय उपयोग और आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से उद्भूत फायदों में साम्यपूर्ण हिस्सा बंटाना है; और आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण, पोषणीय उपयोग और उनके उपयोग से उद्भूत फायदों में साम्यापूर्ण हिस्सा बंटाने के लिए उपबंध करना और उक्त कन्वेशन को प्रभावी करना आवश्यक समझा गया है; भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-



संकटग्रस्त लंबी गर्दन वाले गिद्ध (Long Billed Vulture) का समूह



अध्याय-1

प्रारम्भिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम जैव विविधता, अधिनियम, 2002 है। संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।

- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है।
 (3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करें:

परन्तु इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारम्भ के प्रति किसी निर्देश का उस उपबंध के प्रवर्तन में आने के प्रति निर्देश के रूप में अर्थ लगाया जाएगा।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो परिभाषाएं।
 – परिभाषाएं।

(क) “फायदे के दावेदार” से जैव संसाधनों, उनके उपोत्पादों के संरक्षक, ऐसे जैव संसाधनों के उपयोग, ऐसे उपयोग और उपयोजन से सहबद्ध नवपरिवर्तनों तथा व्यवहारों से सम्बन्धित ज्ञान और जानकारी के सर्जक और धारक अभिप्रेत हैं;

(ख) “जैव विविधता” से सभी संसाधनों से सप्राण जीवों के बीच परिवर्तनशीलता और पारिस्थितिक जटिलताएं, जिनके वे भाग हैं, अभिप्रेत हैं और इसके अन्तर्गत प्रजातियों में या प्रजातियों और पारिस्थितिक प्रणालियों में विविधता भी है;

(ग) “जैव संसाधनों” से पौधे, जीव-जन्तु और सूक्ष्म जीव या उनके भाग, वास्तविक या सम्भावित उपयोग या मूल्य सहित उनके आनुवंशिक पदार्थ और उपोत्पाद मूल्यवर्धित उत्पादों को छोड़कर अभिप्रेत है किन्तु इसके अन्तर्गत मानव आनुवंशिक पदार्थ नहीं हैं;



- (घ) “जैव सर्वेक्षण और जैविक उपयोग” से किसी प्रयोजन के लिए जैव संसाधनों की प्रजातियों और उपप्रजातियों, जीन, अवयवों और सत्त्व का सर्वेक्षण या संग्रहण अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत वर्णन, आविष्करण और जैव आमापन भी है;
- (ङ) “अध्यक्ष” से, यथास्थिति, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण या राज्य जैव बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है;
- (च) “वाणिज्यिक उपयोग” से वाणिज्य उपयोग के लिए जैसे आनुवंशिक व्यवधान के माध्यम से फसल और पशुधन में सुधार करने के लिए प्रयुक्त औषधि, औद्योगिक किण्वक, खाद्य सुगंध, सुवास, प्रसाधन, पायसीकारक, तैलराल, रंग, सत्त और जीन, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जैव संसाधनों का अंतिम उपयोग अभिप्रेत है किन्तु इसके अन्तर्गत किसी कृषि, बागवानी, कुकुट पालन, दुग्ध उद्योग, पशुपालन या मधुमक्खी पालन में उपयोग में आने वाला पारंपरिक प्रजनन या परम्परागत पद्धतियां नहीं हैं।
- (छ) “उचित और साम्यापूर्ण फायदों में हिस्सा बंटाना” से धारा 21 के अधीन राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा अवधारित फायदों में हिस्सा बंटाना अभिप्रेत है;
- (ज) “स्थानीय निकायों” से संविधान के अनुच्छेद 243 ख के खंड (1) और अनुच्छेद 243 थ के खंड (1) के अर्थान्तर्गत पंचायतें और नगर पालिकाएं, चाहे उनका कोई नाम हो, और पंचायतों या नगर पालिकाओं के अभाव में संविधान के किसी अन्य उपबंध या किसी केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के अधीन गठित स्वशासी संस्थाएं अभिप्रेत हैं;
- (झ) “सदस्य” से राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण या राज्य जैव विविधता बोर्ड का राष्ट्रीय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत अध्यक्ष भी हैं;
- (ज) “राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण” से धारा 8 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण अभिप्रेत है;
- (ट) “विहित” से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;



- (ठ) “विनियम” से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं;
- (ड) “अनुसंधान” से किसी जैव संसाधन का अध्ययन या क्रमबद्ध अन्वेषण या उसका प्रौद्योगिकीय उपयोजन अभिप्रेत है जो जैव प्रणालियों, सप्राण जीवों या किसी उपयोग के लिए उत्पादों को बनाने या उपांतरित करने या प्रक्रिया तय करने के लिए उनसे व्युत्पादियों का उपयोग करता है;
- (ढ) “राज्य जैव विविधता बोर्ड” से धारा 22 के अधीन स्थापित राज्य जैव विविधता बोर्ड अभिप्रेत है;
- (ण) “पोषणीय उपयोग” से जैव विविधता के अवयवों का ऐसी रीति में और ऐसी दर से उपयोग अभिप्रेत है जिससे जैव विविधता का दीर्घकालिक हास न होता हो जिससे वर्तमान और भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को पूरा करने की इसकी सम्भाव्यता को बनाए रखा जा सके।
- (त) “मूल्यवर्धित उत्पादों” से ऐसे उत्पाद अभिप्रेत हैं जिनमें पौधों या पशुओं के अमान्यकरणीय और वस्तुतः अपृथक्करणीय रूप में भाग या उनके तत्व अंतर्विष्ट हो सकते हैं।

अध्याय-2

जैव विविधता का विनियमन और उस तक पहुंच

- (1) उपधारा (2) में निर्दिष्ट कोई भी व्यक्ति, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन के बिना, भारत में व्युत्पन्न कोई जैव संसाधन या अनुसंधान के लिए या वाणिज्यिक उपयोग के लिए अथवा जैव सर्वेक्षण और जैव उपयोग के लिए उससे सहबद्ध जानकारी अभिप्राप्त नहीं करेगा।
- (2) वे व्यक्ति जिनसे उपधारा (1) के अधीन राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का अनुमोदन लेना अपेक्षित होगा, निम्नलिखित हैं, अर्थात्:-

कितिपय व्यक्तियों द्वारा राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अनुमोदन के बिना जैव विविधता से सम्बन्धित क्रियाकलापों का न किया जाना।



- (क) वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है;
- (ख) भारत का ऐसा नागरिक जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (30) में परिभाषित अनिवासी है। 1961 का 43
- (ग) ऐसा निगमित निकाय, संगम या संगठन जो-
- भारत में निगमित या रजिस्ट्रीकृत नहीं है या;
 - तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन भारत में निगमित या रजिस्ट्रीकृत है जिसमें उसकी शेयर पूँजी या प्रबन्ध में कोई गैर भारतीय भागीदारी, है।
4. कोई भी व्यक्ति, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन के बिना, भारत में उत्पन्न या भारत से अभिप्राप्त किन्हीं जैव संसाधनों से सम्बन्धित किसी अनुसंधान के परिणामों को किसी ऐसे व्यक्ति को जो भारतीय नागरिक नहीं है या भारत का ऐसा नागरिक है जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (3) में यथा परिभाषित अनिवासी है या ऐसे निगमित निकाय या संगठन को जो भारत में रजिस्ट्रीकृत या निगमित नहीं है अथवा जिसमें उसकी शेयर पूँजी या प्रबन्ध में कोई गैर भारतीय भागीदारी है, धनीय प्रतिफल के लिए या अन्यथा अंतरित नहीं करेगा।

अनुसंधान के परिणाम राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अनुमोदन के बिना कतिपय व्यक्तियों को अंतरित नहीं किए जाएंगे।

1961 का 43

धारा 3 और धारा 4 का कतिपय सहयोगी अनुसंधान परियोजनाओं का लागू नहीं होंगे जो जैव संसाधनों या उससे सम्बन्धित सूचना के संस्थाओं के बीच जिनके अन्तर्गत सरकार द्वारा प्रायोजित भारतीय संस्थाएं हैं और अन्य देशों में ऐसी संस्थाओं के बीच अंतरण या विनिमय में लगी हुई हैं, यदि ऐसी सहयोगी अनुसंधान परियोजनाएं उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा कर देती हैं।

5. (1) धारा 3 और धारा 4 के उपबंध ऐसी सहयोगी अनुसंधान परियोजनाओं को लागू नहीं होंगे जो जैव संसाधनों या उससे सम्बन्धित सूचना के संस्थाओं के बीच जिनके अन्तर्गत सरकार द्वारा प्रायोजित भारतीय संस्थाएं हैं और अन्य देशों में ऐसी संस्थाओं के बीच अंतरण या विनिमय में लगी हुई हैं, यदि ऐसी सहयोगी अनुसंधान परियोजनाएं उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा कर देती हैं।



- (2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट सहयोगी अनुसंधान परियोजनाओं से भिन्न सभी परियोजनाएं जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व पूरे किए गए करारों पर आधारित हैं और जो प्रवृत्त हैं, उस सीमा तक जहां तक करार के उपबंध इस अधिनियम के उपबंधों और उपधारा (3) के खंड (क) के अधीन जारी किए गए किसी मार्गदर्शनों से असंगत हैं, शून्य होगी।
 - (3) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए सहयोगी अनुसंधान परियोजनाएं;
 - (क) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त जारी किए गए नीति सम्बन्धी मार्गदर्शनों के अनुरूप होंगी;
 - (ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित की जाएंगी।
6. (1) कोई भी व्यक्ति किसी बौद्धिक सम्पदा अधिकार के लिए, चाहे उसका कोई भी नाम हो, भारत में या भारत से बाहर किसी अनुसंधान पर आधारित किसी आविष्कार के लिए या भारत से अभिप्राप्त जैव संसाधन पर आधारित जानकारी के लिए ऐसा आवेदन करने से पूर्व राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त किए बिना आवेदन नहीं करेगा:

परन्तु यदि कोई व्यक्ति पेटेंट के लिए आवेदन करता है तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की अनुज्ञा पेटेंट के स्वीकार कर लिए जाने के पश्चात्, किन्तु सम्बद्ध पेटेंट राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा पेटेंट में व्यवहार करने से पूर्व, अभिप्राप्त की जा सकेगी।

परन्तु यह और कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण उसको की गई अनुज्ञा हेतु आवेदन का निपटारा आवेदन की प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर करेगा।

- (2) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, इस धारा के अधीन अनुमोदन अनुदत्त करते समय, फायदे में हिस्सा बंटाने की फीस या रायल्टी अथवा दोनों अधिरोपित कर सकेगा या ऐसे अधिकारों के वाणिज्यिक उपयोग से उद्भूत वित्तीय फायदों का हिस्सा बंटाने सहित शर्तें अधिरोपित कर सकेगा।



- (3) इस धारा के उपबंध ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होंगे जो संसद द्वारा अधिनियमित पौधा किस्म के संरक्षण से सम्बन्धित किसी विधि के अधीन किन्हीं अधिकारों के अधीन आवेदन कर रहा है।
 - (4) जहां कोई अधिकार उपधारा (3) में निर्दिष्ट विधि के अधीन अनुदत्त किया जाता है वहां सम्बद्ध प्राधिकारी ऐसे अधिकार अनुदत्त करते समय ऐसा अधिकार अनुदत्त करने वाले ऐसे दस्तावेज की प्रति राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण को पृष्ठांकित करेगा।
7. ऐसा कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है या ऐसा निगमित निकाय, संगम या संगठन है जो भारत में रजिस्ट्रीकृत है, वाणिज्यिक उपयोग के लिए कोई जैव संसाधन या वाणिज्यिक उपयोग के लिए या जैव संरक्षण और जैव उपयोग के लिए सम्बद्ध राज्य विविधता बोर्ड को पूर्व इत्तिला देने के पश्चात् ही अभिप्राप्त करेगा, अन्यथा नहीं:

परन्तु इस धारा के उपबंध स्थानीय व्यक्ति या उस क्षेत्र के समुदायों को लागू नहीं होंगे जिनके अन्तर्गत जैव विविधता के उगाने वाले और कृषक, और ऐसा वैद्य और हकीम है जो देशी औषधियों का व्यवसाय कर रहे हैं।

किंतु प्रयोजनों के लिए जैव संसाधन अभिप्राप्त करने के लिए राज्य जैव विविधता बोर्ड को पूर्व इत्तिला।

अध्याय-3

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण

- 8. (1) ऐसी तारीख से जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के नाम के एक निकाय की स्थापना की जाएगी।
- (2) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण पूर्वोक्त नाम का निगमित निकाय होगा जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी तथा जिससे जंगम और स्थावर दोनों ही प्रकार की सम्पत्ति



अर्जित करने की या उसके व्ययन करने की और संविदा करने की शक्ति होगी तथा वह उस नाम से वाद ला सकेगा या उसके विरुद्ध वाद लाया जा सकेगा।

- (3) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का प्रधान कार्यालय चेन्नई में होगा और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से भारत में अन्य स्थानों पर भी कार्यालय स्थापित कर सकेगा।
- (4) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात्:-
- (क) अध्यक्ष, जो ख्यातिप्राप्त व्यक्ति होगा जिसके पास जैव विविधता के संरक्षण उसके पोषणीय उपयोग में तथा फायदों में साम्यापूर्ण हिस्सा बंटाने से सम्बन्धित विषयों में पर्याप्त ज्ञान और अनुभव हो, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत किया जाएगा;
- (ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा तीन पदेन सदस्यों को नियुक्त किया जाएगा जिनमें जनजाति कार्यों से सम्बन्धित मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए और पर्यावरण और वन से सम्बन्धित मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए दो सदस्य जिसमें से एक वन अपर महानिदेशक या वन महानिदेशक होगा;
- (ग) निम्नलिखित से सम्बन्धित केन्द्रीय सरकार के सम्बद्ध मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले सात पदेन सदस्यः
 - (i) कृषि अनुसंधान और शिक्षा;
 - (ii) जैव प्रौद्योगिकी;
 - (iii) समुद्र विकास;
 - (iv) कृषि और सहकारिता;
 - (v) औषधि और होम्योपैथिक की भारतीय पद्धतियाँ;
 - (vi) विज्ञान और प्रौद्योगिकी;
 - (vii) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान;



- (घ) ऐसे पांच गैर शासकीय सदस्य जो ऐसे विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों में से नियुक्त किए जाएंगे जिनके पास जैव विविधता के संरक्षण, जैव संसाधनों के पोषणीय उपयोग और जैव संसाधनों के उपयोग से उद्भूत फायदों में साम्यापूर्ण हिस्सा बटाने से सम्बन्धित विषयों में विशेष ज्ञान और अनुभव हो और जो उद्योग के प्रतिनिधि, जैव संसाधनों के संरक्षक, सर्जक और जानकारी धारण करने वाले हों।
9. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अध्यक्ष और पदेन सदस्यों से भिन्न अन्य सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें वे होंगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं।
10. अध्यक्ष राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक होगा और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो विहित किए जाएं।
11. केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के किसी सदस्य को पद से हटा सकेगी यदि वह व्यक्ति-
- (क) जो दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है; या
 - (ख) जो किसी ऐसे अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया है जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्वलित है; या
 - (ग) जो शारीरिक या मानसिक रूप से सदस्य के रूप में कार्य करने के अयोग्य हो गया है; या
 - (घ) जिसने अपने पद का ऐसा दुरुपयोग किया है जिससे पद पर उसका बने रहना लोकहित के लिए अहितकर है; या
 - (ङ) जिसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित किया है जिससे सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।
12. (1) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ऐसे समयों और स्थानों पर अधिवेशन करेगा और अपने अधिवेशनों में कारबाह के संव्यवहार में (जिसके अन्तर्गत ऐसे अधिवेशनों में गणपूर्ति है) प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगा, जो विहित किए जाएं।
- अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें।
- अध्यक्ष राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक होगा।
- सदस्यों का हटाया जाना।
- राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अधिवेशन।



- (2) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का अध्यक्ष राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा।
- (3) यदि अध्यक्ष किसी कारण से राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अधिवेशन में उपस्थित होने में असमर्थ है तो उस अधिवेशन में उपस्थित राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण सदस्यों द्वारा अपने में से चुना गया कोई अन्य सदस्य उस अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा।
- (4) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के किसी अधिवेशन में उसके समक्ष आने वाले सभी प्रश्नों का विनिश्चय उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा और मत बराबर होने की दशा में, अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का, द्वितीय या निर्णायक मत होगा।
- (5) प्रत्येक ऐसा सदस्य, जो किसी भी प्रकार से, चाहे प्रत्यक्षतः अप्रत्यक्षतः या व्यक्तिगत रूप से अधिवेशन में विनिश्चित किए जाने वाले विषय से सम्बद्ध या हितबद्ध है, तो अपने सम्बन्ध या हित; की प्रकृति को प्रकट करेगा और इस प्रकार प्रकट करने के पश्चात् सम्बद्ध या हितबद्ध सदस्य उस अधिवेशन में भाग नहीं लेगा।
- (6) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस आधार पर अविधिमान्य नहीं होगी कि-

 - (क) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है; या
 - (ख) किसी सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि है; या
 - (ग) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की प्रक्रिया में ऐसी अनियमितता है जिससे मामले के गुणावगुण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।



13. (1) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कृषि जैव विविधता से व्यवहार करने के लिए एक समिति का गठन कर सकेगा। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की समितियां।

स्पष्टीकरण – इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, “कृषि जैव विविधता” से कृषि से सम्बन्धी जाति और उनकी जंगली प्रजातियों से सम्बद्धित जैव विविधता अभिप्रेत है।

- (2) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन और कृत्यों के अनुपालन के लिए उतनी संख्या में समितियों का गठन कर सकेगा जो वह ठीक समझे।

- (3) इस धारा के अधीन गठित समिति में, ऐसे व्यक्ति जो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के सदस्य नहीं हैं, उतनी संख्या में सहयोजित किए जा सकेंगे जो वह ठीक समझे और इस प्रकार सहयोजित व्यक्तियों को समिति के अधिवेशनों में उपस्थित होने और इसकी कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार होगा किन्तु उसमें मत देने का अधिकार नहीं होगा।

- (4) उपधारा (2) के अधीन गठित समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त व्यक्ति, समिति के अधिवेशनों में उपस्थित होने के लिए ऐसे भत्ते और फीस प्राप्त करने के हकदार होंगे, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत की जाए।

14. (1) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, उतने अधिकारियों और ऐसे अन्य कर्मचारियों को नियुक्त कर सकेगा जो वह इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए आवश्यक समझे।

- (2) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के ऐसे अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जो विनियमों द्वारा विहित की जाएं।

15. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के सभी आदेशों और विनिश्चयों का अधिप्रमाणन अध्यक्ष या राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी सदस्य के

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी।

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के आदेशों और विनिश्चयों का अधिप्रमाणन।



हस्ताक्षर द्वारा किया जाएगा और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा निष्पादित सभी अन्य लिखते राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित की जाएंगी।

16. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, लिखित रूप में साधारण या विशेष आदेश द्वारा राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के किसी सदस्य या अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए यदि कोई हों, जो इस आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, अधिनियम के अधीन ऐसी शक्तियों और कृत्यों को धारा 50 के अधीन अपील करने और (धारा 62 के अधीन विनियम बनाने की शक्ति से भिन्न), जो आवश्यक समझी जाएं, प्रत्यायोजित की जा सकेंगी।
17. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा प्रशासनिक व्यय, जिसके अन्तर्गत राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय या उनके सम्बन्ध में संदेय वेतन, भत्ते और पेंशन है, भारत की संचित निधि में से चुकाए जाएंगे।

शक्तियों का प्रत्ययोजन।

शक्तियों का प्रत्ययोजन। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के व्यय का भारत की संचित निधि में से चुकाया जाना।

अध्याय-4

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के कृत्य और शक्तियां

18. (1) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का, धारा 3, धारा 4 और धारा 6 में विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों को विनियमित करने और विनियमों द्वारा जैव संसाधनों तक पहुंच और फायदों में साम्यापूर्ण हिस्सा बनाने तक के लिए मार्गदर्शन जारी करने का कर्तव्य होगा।
- (2) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का धारा 3, धारा 4 और धारा 6 में विनिर्दिष्ट क्रियाकलाप को करने के लिए अनुमोदन अनुदत्त कर सकेगा।
- (3) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण:

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के कृत्य व शक्तियां।



- (क) केन्द्रीय सरकार को जैव विविधता के संरक्षण, इसके अवयवों के पोषणीय उपयोग और जैव विविधता संसाधनों के उपयोग में से उद्भूत फायदों के साम्यापूर्ण हिस्सा बंटाने के सम्बन्ध में सलाह दे सकेगा;
 - (ख) राज्य सरकारों को, जैव विविधता के महत्व के क्षेत्रों के चयन में जो विरासत स्थल के रूप में धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित किए जाएं तथा ऐसे विरासत स्थलों के प्रबन्ध के उपाय के चयन में सलाह दे सकेगा;
 - (ग) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन कर सकेगा जो इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक समझे जाएं।
- (4) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार की ओर से भारत से अभिग्राप्त किसी जैव संसाधन या ऐसे जैव संसाधन से सहयोजित, जो भारत से व्युत्पन्न हुआ है, भारत के बाहर किसी देश में बौद्धिक सम्पदा अधिकारों को मंजूर करने का विरोध करने के लिए आवश्यक कदम उठा सकेगा।

अध्याय-5

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन

19. (1) धारा 3 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति, जो भारत में होने वाली किसी जैव संसाधन को या उससे सहयोजित ज्ञान को, अनुसंधान या वाणिज्यिक उपयोग या जैव सर्वेक्षण और जैव उपयोग के लिए अथवा भारत में होने वाले या भारत के बाहर से अभिग्राप्त जैव संसाधन से सम्बन्धित किसी अनुसंधान के परिणामों के अंतरण को प्राप्त करने के लिए आशयित हैं, ऐसे प्ररूप में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण को आवेदन करेगा और ऐसी फीस का संदाय करेगा, जो विहित की जाए।
- (2) कोई व्यक्ति, जो भारत में या भारत के बाहर धारा 6 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट किसी पेटेंट के लिए या बौद्धिक सम्पदा संरक्षण के किसी अन्य प्ररूप के लिए आवेदन करना चाहता है

करिपय क्रियाकलाप करने के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन।



तो वह ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण को आवेदन कर सकेगा जो विहित की जाए।

- (3) उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन किसी आवेदन की प्राप्ति पर, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे और यदि आवश्यक हो इस प्रयोजन के लिए गठित किसी विशेषज्ञ समिति से परामर्श करने के पश्चात्, आदेश द्वारा इस निमित्त बनाए गए किन्हीं विनियमों के अधीन रहते हुए अनुमोदन अनुदत्त कर सकेगा और यह ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन होगा जो आवश्यक समझी जाएं जिनके अन्तर्गत रायलटी के रूप में प्रभारों का अधिरोपण या आवेदन को नामंजूर करने के कारण सम्मिलित हैं: परन्तु यह कि नामंजूरी का ऐसा कोई आदेश प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा:
 - (4) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण इस धारा के अधीन दिए गए प्रत्येक अनुमोदन की सार्वजनिक सूचना देगा।
20. (1) कोई भी व्यक्ति, जिसे धारा 19 के अधीन अनुमोदन प्रदान किया गया है किसी ऐसे जैव संसाधन या उससे सहबद्ध ज्ञान को, जो उक्त अनुमोदन की विषय-वस्तु है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की अनुज्ञा के बिना अंतरित नहीं करेगा।
- (2) कोई व्यक्ति जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी जैव संसाधन या उससे सहबद्ध ज्ञान को अंतरित करना चाहता है, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण को आवेदन करेगा, जो विहित की जाए।
- (3) उपधारा (2) के अधीन किसी आवेदन की प्राप्ति पर राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ऐसी जांच करने के पश्चात् जिन्हें वह उचित समझे और यदि आवश्यक हो, इस प्रयोजन के लिए गठित किसी विशेषज्ञ समिति से परामर्श करने के पश्चात् आदेश द्वारा इस निमित्त बनाए गए किन्हीं विनियमों के अधीन रहते हुए अनुमोदन दे सकेगा और यह ऐसी शर्तों

जैव संसाधन या ज्ञान का अन्तरण।



और निबंधनों के अधीन होगा जो आवश्यक समझी जाएं जिनके अन्तर्गत रायलटी के रूप में प्रभारों का अधिरोपण या आवेदन को नामंजूर करने के कारण सम्मिलित हैं:

परन्तु यह कि नामंजूरी का ऐसा कोई आदेश प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा:

- (4) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण इस धारा के अधीन दिए गए प्रत्येक अनुमोदन की सार्वजनिक सूचना देगा।
- 21. (1) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, धारा 19 या धारा 20 के अधीन अनुमोदन प्रदान करते समय यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे निबंधनों और शर्तों का, जिनके अधीन रहते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया है, उपलब्ध जैव संसाधनों के उपयोग से उद्भूत फायदों, उनके उपोत्पादों, उनके उपयोग से सहबद्ध नवपरिवर्तनों तथा व्यवहारों और उनसे सम्बन्धित उपयोजनों तथा ज्ञान का, ऐसे अनुमोदन के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति, सम्बन्धित स्थानीय निकाय और फायदे के दावेदारों के बीच पारस्परिक रूप से करार किए गए निबंधनों और शर्तों के अनुसार साम्यापूर्ण फायदे में हिस्सा बंटाना सुनिश्चित है।
- (2) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण इस निमित्त बनाए गए किन्हीं विनियमों के अधीन रहते हुए फायदे में हिस्सा बंटाने की अवधारण को निम्नलिखित किसी या सभी रीति में लागू किया जाएगा, अर्थात्:-

 - (क) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण या जहां फायदे के दावेदारों को, ऐसे फायदे के दावेदारों के रूप में पहचाना जाता है, बौद्धिक सम्पदा अधिकारों का संयुक्त स्वामित्व देना;
 - (ख) प्रौद्योगिकी का अंतरण;
 - (ग) ऐसे क्षेत्रों में उत्पादन, अनुसंधान और विकास एककों का अवस्थान जो फायदे के दावेदारों के बेहतर जीवन स्तर को सुकर बनाते हैं;

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण साम्यापूर्ण फायदे में हिस्सा बंटाने का अवधारण।



- (घ) भारतीय वैज्ञानिक संगम, फायदों का दावा करने वाले व्यक्ति और जैव संसाधन और जैव सर्वेक्षण और जैव उपयोग के अनुसंधान और विकास में लगे स्थानीय व्यक्ति फायदे का दावा करने वाले;
 - (ङ) फायदे का दावा करने वालों के हेतु की गई सहायता के लिए बौद्धिक पूँजी निधि की स्थापना;
 - (च) फायदे का दावा करने वालों को धनीय प्रतिकर और अन्य गैर धनीय फायदों का संदाय जो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा आवश्यक समझे जाएं;
- (3) जहां धन की आवश्यक राशि का हिस्सा बंटाने का आदेश दिया जाता है, वहां राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ऐसी राशि को राष्ट्रीय जैव विविधता निधि में जमा करने का आदेश देसकेगा;

परन्तु यह कि जहां जैव संसाधन या ज्ञान किसी विनिर्दिष्ट व्यष्टिक या व्यष्टिक-समूह या संगठन के परिणामस्वरूप उपलब्ध था वहां राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण यह निदेश दे सकेगा कि राशि का किसी करार के निबंधनों के अनुसरण में और ऐसी रीति में जो आवश्यक समझी जाए और विशिष्ट व्यष्टि और व्यष्टि समूह या संगठन को प्रत्यक्षतः संदाय किया जाए।

- (4) इस धारा के प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण केन्द्रीय सरकार के परामर्श से विनियमों द्वारा मार्गदर्शक सिद्धान्त विरचित करेगा।

अध्याय-6

राज्य जैव विविधता बोर्ड

22. (1) उस तारीख से जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए --- (राज्य का नाम) जैव विविधता बोर्ड के नाम से ज्ञात राज्य के लिए उस सरकार द्वारा एक बोर्ड स्थापित किया जाएगा।

राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना।



(2) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी किसी राज्य जैव विविधता बोर्ड को किसी संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे संघ राज्यक्षेत्र के सम्बन्ध में गठन किया गया नहीं समझा जाएगा। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण संघ राज्यक्षेत्र के लिए किसी राज्य जैव विविधता बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करेगा:

परन्तु यह कि किसी संघ राज्यक्षेत्र के सम्बन्ध में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को, जो केन्द्रीय सरकार विहित करे, इस उपधारा के अधीन सभी या किसी शक्ति अथवा कृत्यों का प्रत्यायोजन कर सकेगा।

(3) बोर्ड, उपयुक्त नाम से निगमित एक निकाय होगा जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुद्रा होगी तथा उसे स्थावर और ज़ंगम संपत्ति दोनों को अर्जित करने, धारण करने और व्ययन करने और संविदा करने की शक्ति होगी और वह उक्त नाम से वाद ला सकेगा तथा उसके विरुद्ध वाद लाया जा सकेगा।

(4) बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-

(क) एक अध्यक्ष, जो जैव विविधता के संरक्षण और पोषणीय उपयोग तथा फायदों के साम्यापूर्ण हिस्सा बनाने से सम्बन्धित विषयों में पर्याप्त ज्ञान और अनुभव रखने वाला विशिष्ट व्यक्ति होगा, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा;

(ख) राज्य सरकार के सम्बद्ध विभागों का प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्य सरकार द्वारा पांच से अनधिक पदेन सदस्य नियुक्त किए जाएंगे;

(ग) जैव विविधता के संरक्षण, जैव संस्थाओं के पोषणीय उपयोग तथा जैव संस्थानों के उपयोग में ही उद्भूत कार्यों के साम्यापूर्ण हिस्सा बनाने से सम्बन्धित विषयों के विशेषज्ञों में से पांच से अनधिक सदस्य नियुक्त किए जाएंगे।

(5) राज्य जैव विविधता बोर्ड का मुख्य कार्यालय ऐसे स्थान पर होगा जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किया जाए।



23. राज्य जैव विविधता बोर्ड के कृत्य निम्नलिखित होंगे; राज्य जैव विविधता बोर्ड के कृत्य।
- (क) राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए किसी मार्गदर्शन के अधीन रहते हुए जो जैव विविधता के संरक्षण, उसके अवयवों के पोषणीय उपयोग तथा जैव संसाधनों के उपयोग में से उद्भूत फायदों के साम्यापूर्ण हिस्सा बनाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार को सलाह देना;
 - (ख) वाणिज्यिक उपयोग या जैव सर्वेक्षण और भारतीयों द्वारा किसी जैव विविधता संसाधन के जैव उपयोग के लिए अनुमोदन या अन्यथा अनुरोध को मंजूर करके, विनियमित करना;
 - (ग) ऐसे अन्य कृत्यों को करना जो इस अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक हों और राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं।
24. (1) भारत का कोई नागरिक या निगमित निकाय, संगठन या भारत में रजिस्ट्रीकृत संगम, जो धारा 7 में निर्दिष्ट किसी कार्यकलाप को करना चाहता है, राज्य जैव विविधता बोर्ड को इसकी पूर्व सूचना ऐसे प्ररूप में देगा, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए।
- (2) उपधारा (1) के अधीन किसी संसूचना की प्राप्ति पर राज्य जैव विविधता बोर्ड सम्बन्धित निगमित निकाय से परामर्श करके और ऐसे जांच करने के पश्चात्, जो वह ठीक समझे, आदेश द्वारा ऐसे किसी क्रियाकलाप को प्रतिषेध या निर्बंधित कर सकेगा यदि उसकी राय में ऐसा क्रियाकलाप, संरक्षण और जैव विविधता के पोषणीय उपयोग या ऐसे क्रियाकलाप में से उद्भूत फायदों के साम्यापूर्ण हिस्सा बनाने के प्रतिकूल या विरुद्ध हो:
- परन्तु यह कि ऐसा कोई हिस्सा आदेश प्रभावित व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा।
- (3) पूर्व इतिला के लिए उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्ररूप में दी गई कोई सूचना गुप्त रखी जाएगी और किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसका उससे कोई सम्बन्ध नहीं, साशय या बिना आशय के प्रकट नहीं की जाएगी।



25. धारा 9 से धारा 17 के उपबंध, किसी राज्य जैव विविधता बोर्ड को लागू होंगे और निम्नलिखित उपांतरणों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे अर्थात्:-
- (क) केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिर्देश को राज्य सरकार के प्रतिनिर्देश समझा जाएगा;
 - (ख) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के प्रतिनिर्देश को राज्य जैव विविधता बोर्ड के प्रतिनिर्देश समझा जाएगा;
 - (ग) भारत की संचित निधि के प्रतिनिर्देश को राज्य की संचित निधि के प्रतिनिर्देश समझा जाएगा।

अध्याय-7

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का वित्त, लेखा और लेखा परीक्षा

26. केन्द्रीय सरकार, इस निमित्त संसद् द्वारा सम्यक् रूप से विनियोग के पश्चात्, ऐसे अनुदान या ऋणों के द्वारा, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण को ऐसी राशियों का संदाय कर सकेगी, जो केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने के लिए, आवश्यक समझे।
27. (1) राष्ट्रीय जैव विविधता निधि के नाम से एक निधि का गठन किया जाएगा और उसमें निम्नलिखित जमा किया जाएगा-
- (क) धारा (26) के अधीन राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण को दिया गया कोई अनुदान या ऋण;
 - (ख) इस अधिनियम के अधीन राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा प्राप्त किए गए सभी प्रभार और स्वामित्व; और
 - (ग) ऐसे अन्य संसाधनों से राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा प्राप्त सभी रकम, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित की जाए।
- (2) निधि का निम्नलिखित के लिए उपयोग किया जाएगा,-
- (क) फायदे का दावा करने वालों को फायदों का दिया जाना;



- (ख) जैव संसाधनों का संरक्षण, संवर्धन और उन क्षेत्रों का विकास जहां से ऐसे जैव संसाधन या उससे सहबद्ध ज्ञान उपलब्ध हुआ है;
- (ग) स्थानीय निकाय के परामर्श से खंड (ख) में निर्दिष्ट क्षेत्रों का सामाजिक-आर्थिक विकास।
28. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ऐसे प्ररूप में और प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसे समय पर जो विहित किए जाएं, अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और जिसमें पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसे क्रियाकलापों का सम्पूर्ण लेखा जोखा देगा तथा केन्द्रीय सरकार को ऐसी तारीख से पूर्व, जो विहित की जाए, पेश करेगा और इसके साथ उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और लेखाओं की एक संपरीक्षित प्रति लगी होगी।
29. (1) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एक बजट तैयार करेगा, समुचित लेखा और अन्य सुसंग अभिलेख (जिसमें राष्ट्रीय जैव विविधता निधि के लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख सम्मिलित है) बनाए रखेगा और लेखाओं का एक वार्षिक विवरण उस प्ररूप में जैसा केन्द्रीय सरकार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से विहित करे, तैयार करेगा।
- (2) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के लेखाओं की संपरीक्षा ऐसे अन्तरालों पर की जाएगी जैसा उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए और ऐसी संपरीक्षा के सम्बन्ध में किए गए खर्चों को राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को देय होगा।
- (3) भारत का नियंत्रक और महालेखापरीक्षक तथा राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के लेखाओं की संपरीक्षा के सम्बन्ध में उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को, ऐसी संपरीक्षा के सम्बन्ध में वैसे ही अधिकार और विशेषाधिकार तथा प्राधिकार होंगे जो सामान्यतया नियंत्रक और लेखापरीक्षक को सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के सम्बन्ध में प्राप्त होते हैं और विशिष्टतः उसे
- राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट।
- बजट, लेखा और लेखापरीक्षा।



बहियों, लेखाओं, सम्बन्धित वाउचर और अन्य दस्तावेज तथा कागज-पत्र प्रस्तुत करने की मांग करने और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के किसी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

- (4) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा प्रमाणित लेखा, उनकी संपरीक्षा रिपोर्ट सहित वार्षिक रूप से केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित किए जाएंगे।
- 30. केन्द्रीय सरकार वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को उनके प्राप्त होने के यथासंभव शीघ्र पश्चात् संसद को प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएंगी।

वार्षिक रिपोर्ट का संसद के समक्ष रखा जाना।

अध्याय-8

राज्य जैव विविधता बोर्ड का वित्त, लेखा और लेखापरीक्षा

- 31. राज्य सरकार, इस निमित्त राज्य विधान सभा द्वारा सम्यक् रूप से विनियोग के पश्चात्, ऐसे अनुदान या ऋणों के द्वारा, राज्य जैव विविधता बोर्ड को ऐसी राशियों का संदाय कर सकेगी, जो राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए उपयोग किए जाने के लिए, आवश्यक समझे।
- 32. (1) राज्य जैव विविधता निधि के नाम से एक निधि का गठन किया जाएगा और उसमें निम्नलिखित जमा किया जाएगा।
 - (क) धारा 31 के अधीन राज्य जैव विविधता बोर्ड को दिया गया कोई अनुदान या ऋण;
 - (ख) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण को दिया गया कोई अनुदान या ऋण;
 - (ग) ऐसे अन्य संसाधनों से राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा प्राप्त सभी रकम जो राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित की जाए।
- (2) राज्य जैव विविधता निधि का निम्नलिखित के लिए उपयोग किया जाएगा;

राज्य जैव विविधता निधि।



- (क) विरासतीय स्थलों का प्रबन्ध और संरक्षण;
 - (ख) धारा 37 की उपधरा (1) के अधीन अधिसूचना द्वारा आर्थिक रूप से प्रभावित व्यक्तियों को प्रतिकर देना और उनका पुनः स्थापन;
 - (ग) जैव संसाधनों का संरक्षण और संवर्धन;
 - (घ) ऐसे क्षेत्रों का सामाजिक-आर्थिक विकास, जहां से सम्बन्धित स्थानीय निकायों के परामर्श से धारा 24 के अधीन किए गए अदेश के अधीन रहते हुए, राज्य सरकार को ऐसे जैव संसाधनों या उससे सहबद्ध ज्ञान उपलब्ध हुआ है;
 - (ड) इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत प्रयोजनों के लिए उपगत व्यय की पूर्ति।
33. राज्य जैव विविधता बोर्ड, ऐसे प्ररूप में और प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, ऐसे समय पर, जो विहित किया जाए, अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसे क्रियाकलापों का सम्पूर्ण लेखाजोखा देगा तथा उसकी एक प्रति राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा।
34. राज्य जैव विविधता बोर्ड के लेखा राज्य के महालेखाकार के परामर्श से ऐसी रीति में तैयार किए जाएंगे और लेखापरीक्षित किए जाएंगे तथा राज्य जैव विविधता बोर्ड, राज्य सरकार को, ऐसी तारीख से पूर्व, जो विहित की जाए, अपनी लेखापरीक्षित लेखा की प्रति और उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट सहित, प्रस्तुत करेगा।
35. राज्य सरकार, वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट को, उनके प्राप्त होने के यथा-संभव शीघ्र पश्चात् राज्य विधान मण्डल के सदन के समक्ष रखवाएंगी।

राज्य जैव विविधता बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट।

राज्य जैव विविधता बोर्ड के लेखाओं की लेखापरीक्षा।

राज्य जैव विविधता बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट का राज्य विधान मंडल के समक्ष रखा जाना।



अध्याय-9

केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के कर्तव्य

36. (1) केन्द्रीय सरकार, जैव विविधता के संरक्षण और संवर्धन और पोषणीय उपयोग के लिए जिसके अन्तर्गत ऐसे क्षेत्रों की पहचान करना और उनको मानीटर करना भी है जो जैव संसाधनों के प्राकृतिक आंतरिक और बाह्य संरक्षण से परिपूर्ण है, जैव विविधता के सम्बन्ध में जागृति बढ़ाने के लिए अनुसंधान, प्रशिक्षण और लोकशिक्षा के प्रोत्साहन के लिए राष्ट्रीय नीतियों, कार्यक्रमों को विकसित करेगी।
- (2) जहाँ केन्द्रीय सरकार के पास इस बारे में विश्वास करने का कारण है कि ऐसे किसी क्षेत्र को जो जैव विविधता, जैव संसाधनों से समृद्ध है और उन संसाधनों से भरपूर है, उनके अधिक उपयोग, दुरुपयोग या उनकी उपेक्षा द्वारा उन्हें खतरा पैदा होता जा रहा है वहां वह सम्बद्ध राज्य सरकार को निदेश जारी करेगी कि वह ऐसी राज्य सरकार को कोई तकनीकी या अन्य सहायता प्रदान करते हुए तत्काल ऐसे सुधारक उपाय करें जिनको उपलब्ध कराना संभव हो या जो जरूरी हों।
- (3) केन्द्रीय सरकार, यथाशक्य जब कभी यह समुचित समझे, जैव विविधता के संरक्षण, संवर्धन और पोषणीय उपयोग को सुसंगत क्षेत्रीय या प्रतिक्षेत्रीय योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतियों में एकीकृत करेगी।
- (4) केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित उपाय करेगी;
- (i) जहाँ कहीं आवश्यक हो, एक परियोजना, जो पर्यावरणीय प्रभाव के ऐसे प्रभावों के निराकरण या उसको कम करने के विचार से निर्धारण के लिए जिससे जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है और जहाँ ऐसे निर्धारण में जनता की भागीदारी के लिए समुचित व्यवस्था करना।
- (ii) उस जैव प्रौद्योगिकी के परिणामस्वरूप जीवित संशोधित जीवों के उपयोग और मोचन से सम्बद्ध जोखिमों को विनियमित



करना, उनका प्रबंध या नियंत्रण करना जिससे जैव विविधता के संरक्षण और पोषणीय उपयोग तथा मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

- (5) केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर जैव विविधता से सम्बन्धित स्थानीय व्यक्ति के ज्ञान पर विचार करने और ऐसे उपाय के माध्यम से उसे संरक्षित करने का प्रयास करेगी, जिसमें स्थानीय, राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे ज्ञान का रजिस्ट्रीकरण, और विशिष्ट प्रणाली सहित संरक्षण के अन्य उपाय सम्मिलित होंगे।

स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजनों के लिए-

- (क) प्राकृतिक बाह्य संरक्षण से उनके प्राकृतिक आवासों से बाहर के जैव विविधता के अवयवों का संरक्षण अभिप्रेत है;
- (ख) प्राकृतिक संरक्षण से आर्थिक प्रणाली और प्राकृतिक आवासों का संरक्षण और प्राकृतिक वातावरण में उनकी जातियों की परिवर्तनीय संख्या को बनाए रखना और उन्हें प्राप्त करना तथा वातावरण में प्रजातियों के घरेलूकूत या संवर्धित की दशा, जहां उन्होंने अपने विभिन्न गुण विकसित किए हैं, अभिप्रेत है।

37. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राज्य सरकार, समय-समय पर स्थानीय निकाय के परामर्श से राजपत्र में इस अधिनियम के अधीन जैव विविधता विरासतीय स्थलों के रूप में जैव विविधता के महत्व के क्षेत्रों को अधिसूचित करेगी।

(2) राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार के परामर्श से सभी विरासतीय स्थलों के प्रबन्ध और संरक्षण विरचित करेगी।

(3) राज्य सरकार ऐसी अधिसूचना द्वारा आर्थिक रूप से प्रभावित व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग के प्रतिकर या पुनर्स्थापन के लिए स्कीमें विरचित करेंगी।

38. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना केन्द्रीय सरकार सम्बद्ध सरकार से परामर्श करने के पश्चात् समय-समय पर, ऐसी जातियों को जो विलुप्त

जैव विविधता विरासतीय स्थल।

विलुप्त हो रही जाति को अधिसूचित करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति।



होने के कागर पर हैं या जिनके निकट भविष्य में विलुप्त होने की संभावना है तथा किसी प्रयोजन के लिए उनके संग्रहण के लिए उनको प्रतिषेध या विनियमित कर सकेगी, उन प्रजातियों के पुनर्स्थापन और परिरक्षण के लिए समुचित कदम उठाएगी।

39. (1) केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के परामर्श से विभिन्न प्रवर्गों के जैव संसाधनों के लिए इस अधिनियम के अधीन संग्रहालयों के रूप में संसाधनों को अभिहित कर सकेगी।
- (2) संग्रहालय जैव सामग्री को संरक्षित अभिरक्षा में रखेगा जिसके अन्तर्गत उनके पास जमा किए गए वाउचर नमूने सम्मिलित हैं।
- (3) किसी व्यक्ति द्वारा आविष्कार किए गए किसी नए वर्गक को संग्रहालय में या इस प्रयोजन के लिए पदाभिहित की गई किसी संस्था को अधिसूचित किया जाएगा और उसके द्वारा ऐसे संग्रहालय या संस्था के वाउचर नमूने को जमा किया जाएगा।
40. इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के परामर्श से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह घोषणा कर सकेगी कि इस अधिनियम के उपबंध किन्हीं मर्दों को लागू नहीं होंगे जिसके अन्तर्गत वाणिज्य के रूप में साधारणतया व्यापार के जैव संसाधन सम्मिलित हैं।

संग्रहालयों को अभिहित करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति।

केन्द्रीय सरकार की कतिपय जैव संसाधनों को छूट देने की शक्ति।

अध्याय-10

जैव विविधता प्रबन्ध समितियां

41. (1) प्रत्येक स्थानीय निकाय संरक्षण के संवर्धन, पोषणीय उपयोग और जैव विविधता के दस्तावेजीकरण के प्रयोजन के लिए, जिसके अन्तर्गत आवासकों का भूमि की संरक्षण की प्रजाति का संरक्षण, व्यक्तियों के वर्गों और पशुधन के घरेलूकृत संवर्धकों तथा पशुओं के प्रजनन और सूक्ष्म जीवों तथा जैव विविधता से सम्बन्धित ज्ञान को शृंखलाबद्ध करने के प्रयोजन के लिए इसके क्षेत्र के भीतर है, जैव विविधता प्रबन्ध समिति का गठन करेगा।

जैव विविधता प्रबन्ध समितियों का गठन।



स्पष्टीकरण – इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए-

- (क) ‘कल्टीवर’ से पौधे की ऐसी किस्म अभिप्रेत है जो कृषि में पैदा होती थी और बढ़ती रहती थी या कृषि के प्रयोजनों के लिए विशेष रूप से उगाई गई थी;
- (ख) “लोक किस्म” से पौधे की पैदा की गई वह किस्म अभिप्रेत है जो किसानों के बीच अनौपचारिक रूप से विकसित, उगाई और विनियम की गई थी;
- (ग) “भूमि प्रजाति” से पुरातन कल्टीवर अभिप्रेत है जो प्राचीन कृषकों और उनके उत्तराधिकारियों द्वारा उगाई जाती थी।
- (2) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण और राज्य जैव विविधता बोर्ड जैव संसाधनों और ऐसे संसाधनों से सहबद्ध ज्ञान के उपयोग के सम्बन्ध में, जो जैव विविधता प्रबन्ध समितियों की क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर होते हैं, कोई विनिश्चय लेते समय जैव विविधता समितियों से परामर्श करेगा।
- (3) जैव विविधता प्रबन्ध समिति, अपनी क्षेत्रीय अधिकारिता के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों से वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए किसी जैव संसाधन की पहुंच या संग्रहण के लिए किसी व्यक्ति से फीस के संग्रहण के रूप में प्रभाव उद्गृहीत कर सकेगी।

अध्याय-11

स्थानीय जैव विविधता निधि

42. राज्य सरकार, इस निमित्त राज्य विधान-मंडल द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात् स्थानीय जैव विविधता निधियों को ऐसी धनराशि का अनुदान या ऋण दे सकेगी जो वह इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए उपयोग किए जाने के लिए ठीक समझे।
43. (1) राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्रत्येक क्षेत्र में स्थानीय जैव विविधता निधि के नाम से ज्ञात निधि का गठन किया जाएगा जहां कोई संस्था स्वशासित रूप में कार्य कर रही हो और उसमें निम्नलिखित को जमा किया जाएगा –
- जैव विविधता निधि को अनुदान।
- स्थानीय जैव विविधता निधि का गठन।



- (क) धारा 41 के अधीन दिया गया कोई अनुदान और ऋण;
- (ख) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा दिए गए कोई अनुदान और ऋण;
- (ग) राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा दिए गए कोई अनुदान या ऋण;
- (घ) धारा 41 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट जैव विविधता प्रबन्ध समितियों द्वारा प्राप्त फीस;
- (ङ) ऐसे अन्य संसाधनों से स्थानीय जैव विविधता निधि द्वारा प्राप्त सभी राशियों जो राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित की जाएं।

44. (1) उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, स्थानीय जैव विविधता निधि का ऐसी रीति से प्रबन्ध-तंत्र और उसकी अभिरक्षा करने वाला व्यक्ति तथा वे प्रयोजन जिनके लिए ऐसी निधि का उपयोग किया जाएगा, वे होंगे जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं।

(2) निधि का उपयोग सम्बन्धित स्थानीय निकाय की अधिकारिता के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में जैव विविधता के संरक्षण और संवर्धन के लिए और सामुदायिक फायदे के लिए, जहां तक ऐसा उपयोग जैव विविधता के संरक्षण से संगत है, किया जाएगा।

45. स्थानीय जैव विविधता निधि की अभिरक्षा करने वाला व्यक्ति, ऐसे प्ररूप में और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसे समय पर जो विहित किया जाए, अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान अपने क्रियाकलापों का सम्पूर्ण लेखा-जोखा देते हुए उसकी एक प्रति सम्बद्ध स्थानीय निकाय को प्रस्तुत करेगा।

46. स्थानीय जैव विविधता निधि के लेखा, राज्य के महालेखाकार के परामर्श से ऐसी रीति में रखें और लेखापरीक्षित किए जाएंगे जो विहित की जाए और स्थानीय जैव विविधता निधि की अभिरक्षा करने वाला व्यक्ति, सम्बद्ध स्थानीय निकाय को ऐसी तारीख से पूर्व जो विहित की जाए उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट सहित लेखाओं की एक लेखा संपरीक्षित प्रति देगा।

स्थानीय जैव विविधता निधि का उपयोजन।

जैव विविधता प्रबन्ध समिति की वार्षिक रिपोर्ट।

जैव विविधता प्रबन्ध समिति के लेखाओं की लेखापरीक्षा।



47. धारा 41 की उपधारा (1) के अधीन जैव विविधता प्रबन्ध समिति का गठन करने वाला प्रत्येक स्थानीय निकाय क्रमशः धारा 45 और धारा 46 में निर्दिष्ट और ऐसी समिति से सम्बन्धित वार्षिक रिपोर्ट और उस पर संपरीक्षक की रिपोर्ट के साथ लेखाओं की संपरीक्षित प्रति उस जिला मजिस्ट्रेट को, जिसकी उक्त स्थानीय निकाय पर अधिकारिता हो, प्रस्तुत कराएगा।

अध्याय - 12

प्रकीर्ण

48. (1) इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों और कर्तव्यों का निर्वहन करते समय नीति के प्रश्नों पर ऐसे निदेशों द्वारा आबद्ध होगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर उसे लिखित रूप में दें:

परन्तु यह कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण को इस उपधारा के अधीन कोई निदेश देने से पूर्व, जहां तक साध्य हो, अपने विचार अभिव्यक्त करने का अवसर दिया जाएगा।

- (2) इस सम्बन्ध में कि कोई प्रश्न नीति का है या नहीं केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

49. (1) इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राज्य जैव विविधता बोर्ड इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों और कर्तव्यों का निर्वहन करते समय नीति के ऐसे प्रश्नों पर ऐसे निदेशों द्वारा आबद्ध होगा जो राज्य सरकार समय-समय पर उसे लिखित रूप में दें:

परन्तु यह कि राज्य जैव विविधता बोर्ड को, जहां तक साध्य हो, इस उपधारा के अधीन कोई निदेश देने से पूर्व अपने विचार अभिव्यक्त करने का अवसर दिया जाएगा।

- (2) इस सम्बन्ध में कि कोई प्रश्न नीति का है या नहीं राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत की जाने वाली जैव विविधता प्रबन्ध समितियों की वार्षिक रिपोर्ट, आदि।

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का, केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए निदेशों से आबद्ध होना।

राज्य सरकार की निदेश देने की शक्ति।



50. (1) यदि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण और राज्य जैव विविधता बोर्ड के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है तो यथास्थिति, उक्त प्राधिकरण या बोर्ड केन्द्रीय सरकार को ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, अपील कर सकेगा।
- (2) उपधारा (1) के अधीन की गई प्रत्येक अपील ऐसे प्रारूप में होगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए।
- (3) किसी अपील के निपटान की प्रक्रिया ऐसी होगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए:
- परन्तु यह कि किसी अपील के निपटान से पूर्व पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा।
- (4) यदि राज्य जैव विविधता बोर्ड के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है तो केन्द्रीय सरकार उसे राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण को निर्देशित करेगी।
- (5) उपधारा (4) के अधीन किसी विवाद का न्याय निर्णयन करते समय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों द्वारा मार्गदर्शित होगा और ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए।
- (6) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण को इस धारा के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में, वही शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी सिविल न्यायालय में निहित हैं, अर्थात्:-
- (क.) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना;
 - (ख.) दस्तावेजों को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना;
 - (ग.) शपथपत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना;
 - (घ.) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना;
 - (ङ.) अपने विनिश्चयों का पुनर्विलोकन करना;
- राज्य विविधता बोर्डों के बीच विवादों का निपटान।



(च) व्यतिक्रम के लिए किसी आवेदन को खारिज करना या इसका एकपक्षीय रूप से विनिश्चय करना;

(छ) व्यतिक्रम के लिए किसी आवेदन को खारिज करने के किसी आदेश या उसके द्वारा एकपक्षीय रूप से पारित किसी आदेश को अपास्त करना;

(ज) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए।

(7) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और धारा 228 के अर्थात् और धारा 196 के प्रयोजन के लिए न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी तथा राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 195 और अध्याय 26 के प्रयोजन के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा।

51. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण या राज्य बोर्ड के सभी सदस्य, अधिकारी और अन्य कर्मचारी, जब वे इस अधिनियम के उपबंधों में से किसी के अनुसरण में कार्य कर रहे हों या जब उनका ऐसा कार्य करना तात्पर्यित हों, भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थात् लोकसेवक समझे जाएंगे।

52. इस अधिनियम के अधीन राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण या राज्य जैव विविधता बोर्ड के फायदे में हिस्सेदारी की किसी अवधारण या आदेश से व्यक्ति कोई व्यक्ति, यथास्थिति, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण या राज्य जैव विविधता बोर्ड के अवधारण या आदेश की उसे संसूचना की तारीख से तीस दिन के भीतर उच्च न्यायालय को अपील कर सकेगा:

परन्तु यदि उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी उक्त अवधि के भीतर अपील फाइल करने से पर्याप्त कारण से निवारित रहा है तो वह उक्त अपील साठ दिन से अनधिक की ओर अवधि के भीतर फाइल किए जाने को अनज्ञात कर सकेगा।

53. इस अधिनियम के अधीन राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण या

1860 का 45

1974 का 2

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण और राज्य जैव विविधता बोर्ड के सदस्यों, अधिकारियों आदि को लोकसेवक समझा जाना।

1860 का 45

अपील।



राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा किया गया फायदे की हिस्सेदारी की प्रत्येक अवधारण या आदेश अथवा राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण या राज्य जैव विविधता बोर्ड के किसी अवधारण या आदेश के विरुद्ध किसी अपील में उच्च न्यायालय द्वारा किया गया कोई आदेश, यथास्थिति, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण या राज्य जैव विविधता बोर्ड के किसी अधिकारी या उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार द्वारा जारी प्रमाणपत्र पर सिविल न्यायालय की डिक्री समझा जाएगा और उसी रूप में निष्पादनीय होगा जिसमें उस न्यायालय की डिक्री होती है।

स्पष्टीकरण – इस धारा और धारा 51 के प्रयोजनों के लिए, “राज्य जैव विविधता बोर्ड” पद के अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह भी है जिसे धारा 22 की उपधारा (2) के अधीन की शक्तियाँ और कृत्य उस उपधारा के परंतुक के अधीन प्रत्यायोजित किए गए हैं और इस धारा के अधीन ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह से सम्बन्धित प्रमाणपत्र, यथास्थिति, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा जारी किया जाएगा।

54. इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण या राज्य जैव विविधता बोर्ड के किसी सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होगी।
 55. (1) जो कोई धारा 3 या धारा 4 या धारा 6 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा या उल्लंघन करने का दुष्प्रेरण करेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी या जुमनि से, जो दस लाख रुपये तक का हो सकेगा और जहां कारित नुकसान दस लाख रुपये से अधिक हो वहां जुर्माना कारित नुकसान के अनुरूप होगा अथवा दोनों से दंडनीय किया जाएगा।”
- अवधारण या आदेश का निष्पादन।
- सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।
- 1860 का 45
- शास्त्रियां।



- (2) जो कोई धारा 7 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा या धारा 24 की उपधारा (1) के अधीन किए गए किसी आदेश का उल्लंघन करेगा, कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच लाख रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा।
56. यदि कोई व्यक्ति केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण या राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा दिए गए किसी निदेश या किए गए किसी आदेश का उल्लंघन करता है, जिसके लिए इस अधिनियम के अधीन पृथक् रूप से किसी दंड का उपबंध नहीं किया गया है, तो वह जुर्माने से जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा और किसी दूसरे या पश्चात्वर्ती अपराध के लिए जुर्माने से जो दो लाख रुपये तक का हो सकेगा तथा निरन्तर उल्लंघन के मामले में अतिरिक्त जुर्माने से जो व्यतिक्रम जारी रहने के दौरान प्रत्येक दिन के लिए दो लाख रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।
57. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध या उल्लंघन किसी कम्पनी द्वारा किया गया है; वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध या उल्लंघन के किए जाने के समय उस कम्पनी के कारबार के संचालन के लिए उस कम्पनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कम्पनी भी, ऐसे अपराध या उल्लंघन के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे:
- परन्तु इस उपधारा की कोई बात, किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध या उल्लंघन उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध या उल्लंघन के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी।
- कंपनियों द्वारा अपराध।



(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध या उल्लंघन किसी कम्पनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध या उल्लंघन कंपनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध या उल्लंघन का किया जाना उसकी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहाँ ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी अपराध या उल्लंघन का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने के लिए और दंडित किए जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण इस धारा के प्रयोजनों के लिए-

- (क) “कम्पनी” से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम है; और
- (ख) फर्म के सम्बन्ध में “निदेशक” से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।

58. इस अधिनियम के अधीन अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होंगे।

59. इस अधिनियम के उपबंध वन और वन्यजीव से सम्बन्धित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे और न कि उनके अल्पीकरण में।

60. केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या विनियम या किए गए आदेश के किन्हीं उपबंधों को किसी राज्य में निष्पादित करने के लिए किसी राज्य सरकार को निदेश दे सकेगी।

61. कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान-

- (क) केन्द्रीय सरकार या उस सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा; या
- (ख) ऐसे किसी फायदे के दावेदार द्वारा जिसने ऐसे अपराध की और

अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होंगे

अधिनियम अन्य अधिनियमों के अतिरिक्त होगा

केन्द्र सरकार की राज्य सरकारों को निदेश देने की शक्ति

अपराधों का संज्ञान।



कोई परिवाद किए जाने के अपने आशय की केन्द्रीय सरकार या पूर्वोक्त रूप में प्राधिकृत प्राधिकारी या अधिकारी को विहित रीति में तीस दिन से अन्यून की सूचना दे दी है, किए गए परिवाद पर ही करेगा अन्यथा नहीं।

62. (1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।
- (2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों का उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:-
- (क) धारा 9 के अधीन अध्यक्ष और सदस्य की सेवा के निबंधन और शर्तें;
 - (ख) धारा 10 के अधीन अध्यक्ष की शक्तियां और कर्तव्य;
 - (ग) अधिवेशनों में कारबार के संव्यवहार के सम्बन्ध में धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन प्रक्रिया;
 - (घ) धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन कतिपय क्रियाकलाप करने के लिए आवेदन का प्ररूप और उसके लिए फीस का संदाय;
 - (ङ) धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन आवेदन करने का प्ररूप और रीति;
 - (च) धारा 20 की उपधारा (2) के अधीन जैवीय संसाधन या ज्ञान के अंतरण के लिए आवेदन का प्ररूप और रीति;
 - (छ) वह प्ररूप जिसमें और प्रत्येक वित्तीय वर्ष का वह समय जिस पर धारा 28 के अधीन राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और वह तारीख जिससे पूर्व उस पर संपरीक्षक की रिपोर्ट के साथ लेखाओं की संपरीक्षित प्रति दी जाएगी;
 - (ज) वह प्ररूप जिसमें धारा 29 के अधीन वार्षिक लेखा-विवरण तैयार किया जाएगा।
- केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति।



- (ङ) वह समय जिसके भीतर वह प्ररूप जिसमें अपील की जा सकेगी, और अपील का निपटारा करने के लिए प्रक्रिया तथा धारा 50 के अधीन न्याय-निर्णयन के लिए प्रक्रिया;
 - (ज) वह अतिरिक्त विषय जिसमें राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण धारा 50 की उपधारा (6) के खंड (ज) के अधीन सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा;
 - (ट) धारा 59 के खंड (ख) के अधीन सूचना देने की रीति;
 - (ठ) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना है या किया जाए अथवा जिसकी बाबत नियमों द्वारा उपबंध किया जाना है।
- (3) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक विनियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में ही कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा किन्तु नियम या विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

63. (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।
- (2) विशिष्टता और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों का उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:-

राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति।



- (क) धारा 23 के खंड (ii) के अधीन राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा निर्वहन किये जाने वाले अन्य कृत्य;
 - (ख) वह प्ररूप जिसमें धारा 24 की उपधारा (1) के अधीन पूर्व सूचना दी जाएगी;
 - (ग) वह प्ररूप जिसमें और प्रत्येक वित्तीय वर्ष का वह समय जिस पर धारा 33 के अधीन वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जाएगी;
 - (घ) धारा 34 के अधीन राज्य जैव विविधता बोर्ड के लेखा रखने और उनकी संपरीक्षा करने की रीति तथा वह तारीख जिससे पूर्व उन पर संपरीक्षक की रिपोर्ट के साथ लेखाओं की संपरीक्षित प्रति दी जाएगी।
 - (ङ) धारा 37 के अधीन राष्ट्रीय विरासत स्थलों का प्रबन्ध और संरक्षण;
 - (च) वे प्रयोजन जिनके लिए धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन स्थानीय जैव विविधता निधि का उपयोजन किया जाएगा;
 - (छ) धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन स्थानीय जैव विविधता निधि के प्रबन्ध और अभिरक्षा की रीति तथा वह प्रयोजन जिनके लिए ऐसी निधि का उपयोग किया जाएगा;
 - (ज) धारा 45 के अधीन वार्षिक रिपोर्ट का प्ररूप और वह समय जिस पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसी रिपोर्ट तैयार की जाएगी;
 - (झ) धारा 46 के अधीन स्थानीय जैव विविधता निधि के लेखा रखने और उनकी संपरीक्षा करने की रीति तथा वह तारीख जिससे पूर्व उन पर संपरीक्षा की रिपोर्ट के साथ उसके लेखाओं की संपरीक्षित प्रति दी जाएगी।
 - (ज) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना है या किया जाए।
- (3) इस धारा के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान-मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जहाँ इसके दो सदन हैं या जहाँ ऐसे विधान-मंडल का एक सदन है, उस सदन के समक्ष रखा जाएगा।



64. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगा। विनियम बनाने की शक्ति।
65. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, ऐसे आदेश द्वारा, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी; कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।
- (2) इस अधिनियम के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

- सुभाष सी. जैन
सचिव, भारत सरकार